

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी-वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 112/20  
(जीसीएमएस संख्या 2020/126)

निर्णय दिनांक:- 17-11-23

1. तीजादेवी पत्नी काछबाराम जाति मेघवाल निवासी चारणवाला तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, बज्जू।

-रेस्पोडेन्ट



अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 18-06-2010

सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़

उपस्थित:-

1. श्री हनुमान गिरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन के आदेश दिनांक 18-06-2010 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन आवेदन निरस्त किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ. गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन के तहत चक 27 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 87/47 की भूमि आवंटन किये जाने हेतु श्रीमान् सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये थे। जिस पर लम्बे समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18-06-2010 को अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर दिये बिना सरासर एकतरफा तौर पर अपीलांट का भूमिहीन आवंटन आवेदन को निरस्त कर दिया जो कानून एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में 25 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक भूमि आती है व सबूत अपूर्ण है। जबकि आवंटन नियमों में वरियता अथवा पात्रता निर्धारण करने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः अपीलाधीन आदेश आवंटन नियमों के विपरीत होने से व कानून एवं विधि के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है।

पत्रावली में अपीलांट को नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है, सद्भावी काश्तकार है व बीकानरे, राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट भूमि आवंटन की पात्रता रखता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट का आवेदन निरस्त किया गया है जो कानून व विधि के विरुद्ध है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है।


अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-06-2010 के विरुद्ध अपील दिनांक 02-09-20 को पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट के धारण में पूर्व में ही 25 बीघा भूमि अधिक होने के कारण वरियता से बाहर है अतः आवेदन खारिज किया जाता है। अतः अपीलांट का आवंटन खारिज किया है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।



5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. प्रकरण में जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 18-06-2010 के विरुद्ध अपील दिनांक 02-09-2020 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन-प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखें। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा दिनांक 12-09-2007 को सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ के समक्ष विशेष आवंटन के तहत आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवेदन पत्र के साथ समस्त आवश्यक दस्तावेजात् भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 18-06-2010 को अपीलांट

  
राजस्व अपील अधिकारी  
लीकानेर

का प्रार्थना इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट के धारण में 25 बीघा भूमि कमाण्ड से अधिक होने व सबूत अपूर्ण होने से वरियता से बाहर होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष चक 37 सीडब्ल्यूबी के मुरब्बा नम्बर 87/47 के विशेष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर आगामी तीन वर्षों तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। तत्पश्चात् अपीलांट के आवेदन पत्र पर तहसीलदार या उपखण्ड कार्यालय स्तर पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी प्राप्त किये बिना अचानक दिनांक 18-06-2010 को प्रार्थी के धारण में 25 बीघा कमाण्ड से अधिक भूमि बताकर आवेदन खारिज कर दिया गया। इस संबंध में अपीलांट को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकतरफा, मनमाना व अविवेकपूर्ण आदेश है। जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।



7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ का आदेश दिनांक 18-06-2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.11.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

राजस्थान हाईकोर्ट  
बीकानेर